प्र०सं० 439/25 31.10.25

72
26.09.2025

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
मांडल

विषयः- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम बागोर II की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 से 78 के खाता संख्या 114, 113 में हमारे पिता का नाम श्रीराम अंकित है जबकि सही नाम हरिराम है जिसकी खा.सं. 117 की नकल संलग्न है। अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

राजमल
प्रार्थी

दिनांकः-

राजमल पि० हरिराम तेली)
(............ R/o बागोर

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक - बागोर, बागोर II

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम बागोर II के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 113, 114 में प्रार्थी का नाम उदयराम, राजमल पुत्र श्रीराम तेली, राधा पुत्री श्रीराम एवं डाली पत्नि श्रीराम तेली दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न + मौकापर्चा व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम उक्त खातेदारो के पिता का हरिराम तेली दर्ज किया जाना उचित है जाना उचित है जमाबन्दी खा.सं. 117 व आधार [खा.सं. 117 साक्ष्य] अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

पटवारी 26.9.25
प० बागोर II

भू०अ०नि० भू.अ.नि. बागोर 26/9/25

रिपोर्ट तहसीलदार मांडल

प्रार्थी द्वारा रा०भू०राज० अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी बागोर II व भू०अ०नि० बागोर एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम बागोर II की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 की खाता संख्या 113, 114 में प्रार्थीगणो के पिता का नाम श्रीराम के बजाय हरिराम किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार
26/9/25

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार मांडल ग्राम बागोर जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 खाता संख्या 113,114 में दर्ज प्रार्थी का नाम श्रीराम के स्थान पर हरिराम संशोधन के आदेश दिये जाते है।

2025/530

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा